आदेश संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

06.6.2023

न्यायालयः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

नामांतरण अपील वाद सं0 06/2019–20

रामधनी महतो वगैरह .... अपीलार्थीगण।

बनाम्

विन्ध्याचल चौधरी वगैरह .... प्रत्यर्थीगण।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद सं0 55R27/2018–19 में दिनांक 18.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, केतार से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 केवाला सं0 3570 दिनांक 18.01.1956 ई0 द्वारा सुमेरदत्त पाठक ललन तिवारी एवं रामाधार तिवारी ने ग्राम मेरौनी थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा के खाता नं0 250 प्लॉट नं0 761 में तीन बीघा जमीन यानी 2.25 एकड़ भूमि श्री मंगरू तिवारी ग्राम मेरौनी से क्रये है। जिसमें श्री सुमेरदत्त पाठक ने प्लॉट सं0 761 में एक बीघा 10 कट्ठा यानी 1.12$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि प्राप्त है एवं उस भूमि का दाखिल खारिज सुमेरदत्त पाठक के नाम से कायम हुआ, जिसकी जमाबंदी ग्राम मेरौनी के मांग पंजी 2 के पेज नं0 112 पर अवस्थित है।

02 सुमेरदत्त पाठक ने अपने जीवन काल में ही केवाला सं0 8971 दिनांक 18.12.1984 ई0 द्वारा प्लॉट नं0 761 में रकबा 18 डीसमील भूमि रामधनी महतो यानी अपीलार्थी को बिक्री की थी जिसका दाखिल खारिज भी राज्य सरकार के सिरीस्ते में रामधनी महतो के नाम से एवं वर्तमान सर्वे में खाता भी रामधनी महतो के नाम से बना है जिसका खाता नं0 180 नया प्लॉट नं0 1384 है।

03 सुमेरदत्त पाठक की मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र हुए गंगाधर पाठक बंशीधर पाठक एवं राधेश्याम पाठक है। विक्रेता बंशीधर पाठक ने केवाला सं0 2508 दिनांक 13.04.2007 ई0 को प्लॉट नं0 761 में रकबा 30 डीसमील भूमि विन्ध्याचल चौधरी को बिक्री कर दिया गया। राधेश्याम पाठक ने केवाला सं0 2508 दिनांक 13.04.2007 ई0 को रकबा 15 डीसमील भूमि विन्ध्याचल चौधरी को प्लॉट 761 में ही बिक्री कर दिया गया, पुनः राधेश्याम पाठक ने केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.20008 को

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

रामधनी महतो (अपीलार्थी) प्लॉट नं0 761 में 15 डीसमील भूमि बिक्री कर दिया गया। गंगाधर पाठक ने प्लॉट नं0 761 को निबंधित केवाला सं0 3209 दिनांक 19.10.2010 ई0 को प्लॉट नं0 761 में रकबा 30 डीसमील भूमि बिक्री कर दिया गया।

04 वर्तमान सर्वे में प्लॉट नं0 761 से नया प्लॉट 1419 रकबा 73 डीसमील का बना जिसका नया खाता सं0 69 है।

05 प्लॉट नं0 761 में सुमेरदत्त पाठक के पुत्र के द्वारा बिक्री की गई 90 डीसमील भूमि के जगह वर्तमान सर्वे में 73 डीसमील भूमि ही पाई गई एवं विन्ध्याचल चौधरी लाइची देवी ने मिलकर उक्त क्रय की गई 75 डीसमील के जगह 73 डीसमील भूमि का ऑनलाईन नामांतरण अपने नाम से करा लिया, जबकि ऑनलाईन म्यूटेशन/नामांतरण हेतु अपीलार्थी ने अंचल कार्यालय में अपना आवेदन एवं केवाला दाखिल की थी, जिसे छुपाते हुए हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक गलत प्रतिवेदन समर्पित कर प्रत्यर्थीगण के नाम से ऑनलाईन नामांतरण की स्वीकृती दे दी है जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी एक ही व्यक्ति से भूमि क्रय किए है एवं दोनों का समान हक है।

06 अपीलार्थी ने केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.2008 द्वारा प्लॉट नं0 760 में जो रकबा 15 डीसमील भूमि क्रय की है, उसके शांतिपूर्ण जोत–कोड़ एवं दखल कब्जे में है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा नामांतरण वाद सं0 55R27/2018–19 में दिनांक 18.01.2019 ई0 को पारित आदेश को खारिज करने एवं अपीलार्थी के केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.2008 के द्वारा क्रय की गई भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी को आदेश/निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 नियम 65 A 65 B of Indian Evidence Act 1872 का प्रति ... 03 फर्द
02 नामांतरण वाद सं0 55/2018–19 का ऑनलाईन प्रति .... 03 फर्द
03 केवाला सं0 8066 का छायाप्रति .... 04 फर्द
04 धारा 87 के राजस्व वाद सं0 21154/2009 का छायाप्रति ... 02 फर्द
05 स्थल का फोटोग्राफ का प्रति .... 01फर्द
06 अपील वाद सं0 07/2019–20 के निर्गत नकल प्रति .... 03 फर्द

प्रत्यर्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता कथन है कि:– 01 अपीलार्थी द्वारा लाया गया नामांतरण वाद सं0 55R27/2018–19 किसी भी दृष्टि से स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज योग्य है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

02 विद्वान अंचल अधिकारी केतार द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याय की दृष्टि से सही है। इस आधार पर भी अपीलार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

03 अपील वाद की भूमि ग्राम मेरौनी थाना केतार जिला गढ़वा के खाता नं0 250 नया 250 पुराना, प्लॉट सं0 1419 नया, 761 पुराना रकबा 0.45 एकड़ भूमि से संबंधित है।

04 साविक खाता नं0 250 साविक प्लॉट नं0 761 रकबा 2.25 एकड़ भूमि सुमेरदत्त पाठक को अन्य क्रेता ललन तिवारी एवं रामाधार तिवारी ने अपने ही गॉव के मंगरू तिवारी से खरीदगी रैयती भूमि हासिल थी। जिसमें सुमेरदत्त पाठक को अन्य क्रेता के आपसी मौखिक बंटवारा में रकबा 0.75 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। जिसका हाल सर्वे के नया खाता सं0 250 नया 250पुराना प्लॉट सं0 1419 नया 761 पुराना रकबा 0.75 एकड़ की जगह सुमेरदत्त पाठक के नाम रकबा 0.73 एकड़ बना। लेकिन वर्षो पूर्व सुमेरदत्त पाठक की मृत्यु हो जाने के कारण उनके क्रमशः पुत्रों गंगाधर पाठक बंशीधर पाठक एवं राधेश्याम तीनों पिता स्व0 सुमेरदत्त पाठक दखल कब्जे में आए। जिसमें से बंशीधर पाठक एवं राधेश्याम पाठक ने इस वाद के प्रत्यर्थी विन्ध्याचल चौधरी के हाथों वजरिय केवाला सं0 2508 दिनांक 13.04.2007 के अनुसार खाता नं0 250 प्लॉट सं0 761 रकबा 0.45 एकड़ भूमि बिक्री कर क्रेता के हाथों दखल कब्जा सौंप दिए। इसी प्रकार बिक्रेता गंगाधर पाठक ने इस वाद के प्रत्यर्थी की पत्नी लाईची देवी के नाम वजरिय केवाला सं0 8209 दिनांक 29.10.2010 के अनुसार भूमि का बिक्रीनामा केवाला द्वारा भूमि का दखल कब्जा सौंप दिए। इस प्रकार सुमेरदत्त पाठक को प्राप्त रकबा 0.75 एकड़ का पूर्ण रकबा बिक्री कर दी गई। परन्तु हाल सर्वे के नया खाता सं0 250 नया 250पुराना प्लॉट सं0 1419 नया 761 पुराना रकबा 0.73 एकड़ भूमि का नामांतरण विन्ध्याचल चौधरी एवं लाईची देवी के नाम से नामांतरण हुआ है। इस प्रकार विद्वान अंचलाधिकारी केतार का नामांतरण आदेश विधि के अनुकूल है।

05 अपीलार्थी के अपील आवेदन में वर्णित कंडिकाओं में अपीलार्थी ने बिना तथ्य एवं आधार के द्वेष पूर्ण तरीके से आधारहीन अपील लाया गया है। यदि अपीलार्थी का यह कहना नामांतरण अपील सं0 7/2019-20 के प्रत्यर्थी लाईची देवी से पूर्व भूमि क्रय की गई है। लेकिन विचारणीय बिन्दू यह है कि जिस भूमि को राधेश्याम पाठक ने प्रत्यर्थी विन्ध्याचल चौधरी के हाथों पूर्व में ही बिक्री कर दी गई है तो पुनः राधेश्याम पाठक से अपीलार्थी को भूमि क्रय करना सरासर बेईमानी के सीवा कुछ नहीं है। जो इस आधार पर भी अपील आवेदन खारिज योग्य है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	06 प्रत्यर्थी ने बंशीधर पाठक एवं राधेश्याम पाठक से बिक्री के पश्चात् शेष बचत भूमि का क्रेता लाईची देवी ने गंगाधर पाठक से भूमि क्रय की है न की पुनः विक्रेता की भूमि क्रय की है। जो सच्चाई है कि अपीलार्थी का अपील वाद की भूमि पर क्षणमात्र भी दखल कब्जा नहीं है। 07 अपीलार्थी का यह कहना की खाता नं0 250 प्लॉट नं0 761 में सुमेरदत्त पाठक को रकबा 0.90 एकड़ भूमि हिस्से में मिली थी। लेकिन हाल सर्वे खाता सं0 250 प्लॉट सं0 1419 रकबा 0.73 एकड़ का ही बना है। तो शेष रकबा जैसे की अपीलार्थी का कहना है तो पूर्व रकबा के लिए धारा 87 C.N.T. Act के अन्तर्गत वाद लाना चाहिए था न की अपील वाद को लाना। 08 अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन की कंडिका 4 में कहते है कि सर्वे प्लॉट सं0 1419 रकबा 0.73 एकड़ का नया खाता 69 बना है जो गलत है इसी प्रकार कंडिका 6 में कहते है कि अपीलार्थी के केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.2008 द्वारा प्लॉट सं0 760 में रकबा 0.25 एकड़ भूमि क्रय की है तो अपीलार्थी को खाता नं0 250 प्लॉट नं0 761 कर भूमि पर अपील लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। 09 अपीलार्थी ने अपील दायर करने में हुए बिलम्ब का ठोस कारण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में नामांतरण अपील खारीज योग्य है। अतः प्रत्यर्थी के द्वारा समर्पित लिखित जवाब स्वीकार कर अपीलार्थी का नामांतरण अपील खारिज करते हुए विद्वान अचंलाधिकारी केतार द्वारा स्वीकृत नामांतरण वाद सं0 55R27/2018-19 में दिनांक 18.01.2019 को पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है। 01 केवाला सं0 2508 का छायाप्रति .... 06 फर्द 02 ऑनलाईन लगान रसीद का छायाप्रति ....01 फर्द 03 अंचल से निर्गत शुद्धि पत्र का छायाप्रति .... 01फर्द इस कार्यालय के पत्रांक 378/रा0 दिनांक 31.03.2023 से कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री बंशीधर नगर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि का जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री बंशीधर नगर द्वारा पत्रांक 240 दिनांक 26.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- मेरौनी के खाता सं0 250 प्लॉट सं0 1419 पर अपीलार्थी रामधनी महतो का दखल कब्जा पाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अपीलार्थी के आवेदन पत्र तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खाता सं0 250 प्लॉट सं0 761 में कुल रकवा 2.25 एकड़ मंगरू तिवारी के नाम से था, जिसमें सुमेर पाठक 1.12½ एकड़ भूमि तथा ललन तिवारी एवं रामाधार तिवारी ने आधा 1.12½ एकड़ भूमि क्रय किये। क्रेता ललन तिवारी एवं रामाधार तिवारी द्वारा अपने क्रय की गई भूमि को शुभद्रा देवी पति रामधनी महतो से केवाला सं0 10 दिनांक 31.05.1968 से बिक्री कर दी गई। क्रेता सुमेरदत्त पाठक ने भी अपने क्रय की गई भूमि में रकवा 18 डीसमील भूमि रामधनी महतो के हाथों केवाला सं0 8917 दिनांक 18.12.1984 से बिक्री कर दी गई। सुमेरदत्त पाठक के तीन पुत्र गंगाधर पाठक, वंशीधर पाठक एवं राधेश्याम पाठक हुए। वंशीधर पाठक एवं राधेश्याम पाठक के द्वारा केवाला सं0 2508 दिनांक 13.04.2007 से 45 डीसमील विन्ध्याचल चौधरी पिता स्व0 ज्ञानचंद चौधरी के हाथों भूमि बिक्री किया गया। जो कि विन्ध्याचल चौधरी द्वारा अंचल कार्यालय में विक्रय पत्र दिया गया जिसे अंचल अधिकारी केतार द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद सं 55R27/2018-19 को स्वीकृति दी गई। पुनः राधेश्याम पाठक द्वारा केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.2008 से रकबा 15 डीसमील भूमि बिक्री किये, जो कि क्रेता/अपीलार्थी रामधनी महतो ने क्रय की गई भूमि का नामान्तरण नहीं कराया। गंगाधर पाठक द्वारा अपने हिस्से के अनुरूप प्रश्नगत प्लॉट 761 में रकबा 30 डीसमील केवाला सं0 8209 दिनांक 20.10.2010 से लईची देवी पति विंध्याचल के हाथों भूमि बिक्री कर दी गई है जो कि लईची देवी द्वारा अंचल कार्यालय में विक्रय पत्र दिया गया जिसे अंचल अधिकारी केतार द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद सं 56R27/2018-19 स्वीकृति दी गई। **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के कथनानुसार सुमेरदत्त पाठक द्वारा 18 डीसमील भूमि बिक्री करने के पश्चात मात्र 94½ डीसमील भूमि बची है। लेकिन दखल कब्जा मात्र 73 डीसमील भूमि पर है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।**

कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री वंशीधर नगर द्वारा पत्रांक 240 दिनांक 26.04.2023 से जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलार्थी का कितना भूमि पर दखल कब्जा है। अपीलार्थी के द्वारा अपील आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रत्यर्थी के नामे नामांतरण वाद 55R27/2018-19 में अंकित खाता सं0 250 प्लॉट सं0 1419 रकवा 45 डीसमील अंकित है। जो कि अपीलार्थी रामधनी महतो के केवाला सं0 8066 दिनांक 19.11.2008 में खाता सं0 250 प्लॉट सं0 761D रकवा 15 डीसमील मात्र है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अनुरूप अपीलार्थी का आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी केतार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी, केतार को निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उभयपक्ष को पुनः सुनकर उनके आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरण नियम एवं प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, केतार को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 06/01/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। 06/01/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.07.04 12:44:32 +05:30
Location: 192.168.1.40

Scanned with CamScanner